

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक साअधिकार प्रकाशित	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary <i>Published by Authority</i>
		फाल्गुन 05, सोमवार, शके 1941-फरवरी 24, 2020 <i>Phalguna 05, Monday, Saka 1941–February 24, 2020</i>

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आजार्ये।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 19, 2020

संख्या एफ. 5(2)न्यू.म.स.म./श्रम/92/पार्ट-4900:-न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 11) की धारा 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल का गठन करने संबंधी पूर्व प्रस्तावित अधिसूचना दिनांक 11.12.2014 के अधिक्रमण में राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल का नियमानुसार पुनर्गठन करती है।

स्वतंत्र सदस्य -

1	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव श्रम विभाग, जयपुर	-	अध्यक्ष
2	श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर	-	सदस्य
3	शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर	-	सदस्य
4	आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर	-	सदस्य
5	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर	-	सदस्य

नियोजक प्रतिनिधि-

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर (श्रम संबंधी)
- मुख्य अभियंता, सिचाई विभाग, जयपुर।
- मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जयपुर।
- सहायता विभाग, राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधि जो उप शासन सचिव से कम स्तर का अधिकारी ना हो।
- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि0, जयपुर।
- श्री एन.के. जैन दी एम्पालर्यर्स एसोसियेशन ऑफ राजस्थान 99 मोहनबाड़ी गलता रोड, नियर मिल्यू फ़िल्ड स्कूल जयपुर।
- श्री प्रेम भाटिया, फेडरेशन ऑफ राज. ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज अपेक्स सेल्स कॉर्पोरेशन 147 इण्डस्ट्रियल एरिया झोटवाडा, जयपुर।
- श्री पुरुषोत्तम शर्मा, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एम.आई.रोड, जयपुर।
- श्री एस.आर. पाण्डेय, उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (UCCI)

12. श्री विश्राम गुर्जर, ग्राम व पोस्ट- जमालपुरा तह. मालाखेडा, जयपुर।

श्रमिक प्रतिनिधि-

1. श्री जगदीश राज श्रीमाली, इन्टक मातृ छाया लिंक रोड, बडगांव उदयपुर।
2. श्री नवरत्न जोशी, इन्टक, रावतभाटा।
3. श्री प्रेमजी स्वामी, एटक, स्वामी कुमारानंद भवन, हथरोई फोर्ट के पास जयपुर।
4. श्री राधेश्याम मटोलिया, बी.एम.एस. 42 पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
5. श्री मुकेश माथुर, एच.एम.एस. नोर्थ वेस्टर्न रेल्वे एम्प्लाईज यूनियन स्टेशन रोड कोटा, जक्शंन।
6. श्री वी.एस. राणा, सीटू एस.डी-137, शांति नगर, जयपुर।
7. श्री रामपाल सैनी, आर सीटू, बी-20 शिव नगर दादी का फाटक, बैनाड रोड, जयपुर।
8. श्री भागचंद चौधरी, जिंक फैडरेशन।
9. श्री छ्यालीलाल मालवीय, मार्बल फेडरेशन।
10. श्री नारायण गुर्जर, होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट फैडरेशन।
11. श्री खुशबेन्द्र कुमावत, खान एवं खनिज फैडरेशन।
12. श्रीमती चंदा सुवालका, डोमेस्टिक वर्कर्स फैडरेशन।
13. श्री दौलत जाटव, ग्राम बल्लभ, खैरथल (अलवर) मो.नं. 9413587502

अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.) राजस्थान, जयपुर सलाहकार मण्डल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से
चन्द्रभान सिंह राठौड़,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेश संयुक्त शासन सचिव ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।